(फास्ट ट्रेक) भीलवाडा

25/5/17 पत्रावली आज वास्ते कैम्प गोपालगढ़ पर पेश हुई। प्रकरण मे निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील फाईल कराया गया। पत्रावली कैफियत शुमार लाकर नम्बर से कम किया जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)भीलवाडा

न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्टः– भोपालगढ
पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–13/2017

उनवान

1. श्री गोपीदास आत्मज श्री कानूदास बैरागी(वैष्णव) निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।

–:वादीः–

बनाम

1. श्री समसु पिता गन्नी मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री सद्दाम पिता मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री मुष्ताक पिता मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
4. अष्फाक पिता मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
5. जैनब बानो पुत्री मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
6. गुलषन पुत्री मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा
8. लतीफ पिता फारूक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति मुमताज पत्नी फारूक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
9. अलताफ पिता फारूक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक श्रीमति मुमताज पत्नी फारूक मुसलमान नि0 भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
10. श्रीमति मुमताज पत्नी फारूक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–:प्रतिवादीगणः–

वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,92 (क) व 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः–25.05.2017

पत्रावली आज राजस्व केम्प कोर्ट भोपालगढ पर पेष हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम भोपालगढ के आ0नं0 231,232 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 06 बीस्वा भूमी के संबंध में विवाद है। उक्त वर्णित आराजी में मुबारिक,फारूक पिता जमाल एंव समसू पिता गन्नी मुसलमान का जो हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित था, सम्पूर्ण हक व हिस्से को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2003 से प्रतिफल की राशि 45,000–00 रूपये अदा कर कय कर आधिपत्य प्राप्त किया तभी से उक्त भूमी पर वादी मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काष्त करता है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की फोटो प्रति दी गई, लेकिन नामान्तरकरण की काग्रवाही नही की गई, जिससे उक्त भूमी विक्रेता के नाम पर ही चली आ रही है। विक्रता मुबारिक व फारूक की मृत्यु हो जाने से उनका हक व हिस्सा उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुका है। जो प्रतिवादी संख्या 02 से 10 है।

अतः विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2003 के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम का 1/6 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 02 से 10 के नाम का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज करने का आदेष प्रदान कराया जावे, एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान कराई जावे की वादी के कब्जे उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उतपन्न नही करे, एंव मौके से बेदखल नही करे उक्त अन्तरण नही करे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए, इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए है। अतः प्रतिवादीगण 01 से लगायत 10 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

वादी के वाद पत्र पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 03 को दौहराते हुए वादग्रस्त आराजीयात में विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2003 के आधार पर वादी का राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज कराये जाने की डिकी प्रदान कराई

वादी के वादपत्र का अध्यन्न किया गया, पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एंव दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया गया वादग्रस्त आराजीयात ग्राम भोपालगढ के आ0सं0 231,232 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा भूमी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 10 के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात को मुबारिक, फारूक पिता जमाल मुसलमान एंव समसू पिता गन्नी मुसलमान निवासी गाडरमाला ने विक्रय पत्र 45,000–00 रू0 पर दिनांक 18.12.2003 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये वादी श्री गोपीदास आत्मज कानूदास बैरागी निवासी गाडरमाला ने क्रय की मुबारिक,फारूक पिता जमाल मुसलमान की मृत्यु होकर इनके हिस्से की भूमी उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी है।सामसू पिता गन्नी मुसलमान निवासी गाडरमाला के नाम पर 1/3 हिस्से में संयुक्त रूप से दर्ज है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2003 के आधार पर स्वीकार योग्य ठहरता है। अतः एंव

–:आदेषः–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क) व 188 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर ग्राम भोपालगढ के आराजी सं0 231,232 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 06 बीस्वा भूमी में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से एंव प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 10 के हिस्से की भूमी वादी गोपीदास आत्मज कानूदास बैरागी निवासी गाडरमाला(भोपालगढ) के नाम दर्ज करने के आदेष दिये जाते है। खातून बेवा गन्नी के हिस्से की एंव बद्रीलाल पिता धन्ना जाट के 1/3 हिस्से की भूमी राजस्व रेकार्ड में यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण 01 से लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैकि उपरोक्त आराजीयात में वादी के हिस्से की भूमी के कब्जे काष्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।

डिकी जारी करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2017 राजस्व केंम्प कोर्ट भोपालगढ पर लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फा0द्रै)पीलवाडा
राजस्व केम्प कोर्ट भोपालगढ

मूल वाद में डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)भीलवाडा

राजस्व केम्प कोर्टः– भोपालगढ
पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

उनवान

1. श्री गोपीदास आत्मज श्री कानूदास बैरागी(वैष्णव) निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।

–ःवादीः–

बनाम

1. श्री समसु पिता गन्नी मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री सद्दाम पिता मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री मुष्ताक पिता मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
4. अष्फाक पिता मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
5. जैनब बानो पुत्री मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
6. गुलषन पुत्री मुबारिक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति जरीना बानो पत्नी मुबारिक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा
8. लतीफ पिता फारूक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक माता श्रीमति मुमताज पत्नी फारूक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
9. अलताफ पिता फारूक मुसलमान नाबालिग बलि संरक्षक श्रीमति मुमताज पत्नी फारूक मुसलमान नि0 भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
10. श्रीमति मुमताज पत्नी फारूक मुसलमान निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–ःप्रतिवादीगणः–

प्रकरण संख्या 13 / 2017
निर्णय दिनांक 25.05.2017

वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,92 (क) व 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम

वादी की और से वादी अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी की और से अनुपस्थित में इस वाद के आज दिनांक 25.05.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पैष होने पर आदेष दिया जाता है डिकी दी जाती है किः–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क) व 188 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर ग्राम भोपालगढ के आराजी सं0 231,232 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 06 बीस्वा भूमी में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से एंव प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 10 के हिस्से की भूमी वादी गोपीदास आत्मज कानूदास बैरागी निवासी गाडरमाला(भोपालगढ) के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। खातून बेवा गन्नी के हिस्से की एंव ~~बद्रीलाल~~ बद्रीलाल पिता धन्ना जाट के 1/3 हिस्से की भूमी राजस्व रेकार्ड में यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण 01 से लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त आराजीयात में वादी के हिस्से की भूमी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।

खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 25.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रे)भीलवाडा
राजस्व केम्प कोर्टः–भोपालगढ